कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक 91 /दो-11-2/2018 **कोरबा, दिनांक 02-07-2024**

इस कार्यालय स्थापना में गठित भर्ती समिति की अनुशंसा के आलोक में आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी (चौकीदार, वाटरमेन एवं स्वीपर) के रिक्त पदों पर प्रवीणता सूची के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कलेक्टर कोरबा द्वारा समय-समय पर, निर्धारित वेतन प्रतिमाह की दर पर, निर्धारित शर्तों के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश पर्यन्त नियुक्त किया जाता हैः-

क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Deepak Suryavanshi S/o Santosh Suryavanshi	ग्राम व पो0 सक्ति, चौक सबरी चौक वार्ड नं 18 गतौरा, तह0 मस्तुरी, जिला बिलासपुर (छ0ग0)	GEN
2	Shankar Singh Thakur S/o Rameshwar Singh Thakur	टाईप 2–6 हाई कोर्ट रेसीडेंसियल कॉलोनी बोदरी बिलासपुर (छ0ग0)	GEN
3	Rajkumari Vastrakar D/o Late Shri Netram Vastrakar	मकान नं0 14 वार्ड क्र0 29 खरमोरा रोड पोड़ीबहार कोरबा (छ0ग0)	GEN(F)
4	Manjulata Pradhan D/o Madhumani Pradhan	ग्राम कुपाकानी तह0 लैलुगा जिला रायगढ (छ0ग0)	GEN(F)
5	Daleshwar S/o Bhagwana	मु0पो0 टुण्डरी तह0 बिलाईगढ़ जिला– सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ0ग0)	OBC
6	Ghasiram Khairwar S/o Gorelal Khairwar	मकान न0 30 नदियापारा 2 वार्ड न0 3 नवरंगपुर, सक्ति (छ0ग0)	ST
7	Aman Kumar Jagat S/o Ramcharan Jagat	ग्राम खैराडूबान पोस्ट बकासाही तह0 व थाना पाली जिला कोरबा (छ0ग0)	ST
8	Ajay Singh S/o Karachand	ग्राम छोटेमुड़ापार पो0 भैनापारा तह0 व थाना खरसियॅ जिला रायगढ़ (छ0ग0)	ST
9	Jaikishan S/o Nainsingh	मु0पो0 वार्ड नं 04 शांति कुंज गढ़गोढ़ी तह0 सक्ती जिला सक्ती (छ0ग0)	ST
10	Pyarelal S/o Kartikram	ग्राम साल्हे पो0 मिरचे तह0 अम्बागढ़ चौकी जिला– मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी (छ0ग0)	ST

11	Chandrahash Deshlahare S/o late Shri Budhuram Deshlahare	ग्राम व पो0 खलारी वि0ख0 डौण्डी जिला–बालोद (छ0ग0)	SC
12	Shaileshwari Kumari D/o Trilok Singh	ग्राम सराईडीह, पोस्ट चिलकेजा, जिला कोरबा (छ0ग0)	ST(F)
13	Supriya Lakra D/o Fuluens Lakra	बंगलापारा कुटुरूवा पो0 बालको कोरबा (छ0ग0)	ST(F)

नियुक्ति की शर्तें:-

1. चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति-प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, रोजगार पंजीयन, अनुभव प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड एवं प्रत्येक दस्तावेज की एक-एक प्रति स्वप्रमाणित छायाप्रति कार्यभार ग्रहण करते समय कार्यालय में अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना होगा ।
2. आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.06.2013 में संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा । (प्रारूप संलग्न)
3. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला चिकित्सालय के जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह शासकीय सेवा हेतु फीट (योग्य) है । यदि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।
4. चयनित अभ्यर्थी को अनुप्रमाणन फार्म पूर्तिकर तीन प्रतियों में शपथपत्र सहित प्रस्तुत करना होगा । यदि चरित्र सत्यापन में सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी ।
5. किसी भी पक्ष के द्वारा एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकती है ।
6. सेवा में प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिए अनुमति नहीं दी जावेगी, तथा कार्यालय प्रमुख की अनुमति उपरांत ही उच्च शिक्षा हेतु आवेदन अथवा अध्ययन प्रारंभ की जा सकेगी ।
7. नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं की जावेगी ।
8. शैक्षणिक तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा नियुक्ति हेतु कोई तथ्य छुपाया जाना, पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के निरस्त कर दी जावेगी ।

9. चयनित अभ्यर्थी की पदस्थापना जिला स्थापना कोरबा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किसी भी न्यायालय या अनुभाग में की जा सकती है ।

10. चयनित अभ्यर्थी की कार्य, व्यवहार एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर अथवा अन्य कारणों से उनकी सेवायें एक माह का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है ।

11. **चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 12-07-2024 तक अनिवार्य रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा । यदि उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता है तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा तथा चयनित सूची से उनका नाम पृथक कर दिया जावेगा ।**

12. **यह नियुक्ति आदेश चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित की जा रही है, साथ ही जिला न्यायालय कोरबा के वेबसाईट पर भी उपलब्ध की जा रही है । चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाईट से डाउनलोड करके भी अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते है ।**

जिला न्यायालय कोरबा के वेबसाईट में सुधार कार्य होने के कारण यदि नियुक्ति आदेश डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो चयनित अभ्यर्थी कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पित नियुक्त आदेश की छायाप्रति कर भी कार्यभार ग्रहण कर सकते है।

13. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की स्थापनाओं पर आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्त नियम , 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है, अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवाएं उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होंगी ।

14. चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का क्रम वही होगा, जो इस आदेश में अंकित है ।

2-7-2024

(सत्येन्द्र कुमार साहू)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरबा (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक /दो-11-2/2018 कोरबा, दिनांक 02-07-2024

प्रतिलिपिः-

1. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा ।
2. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, कोरबा की ओर सूचनार्थ ।
3. प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा की ओर सूचनार्थ ।
4. लेखापाल / देयक लिपिक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

5. अग्रलिखित चयनित अभ्यर्थियों की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1	Deepak Suryavanshi S/o Santosh Suryavanshi पता–ग्राम व पो0 सक्ति, चौक सबरी चौक वार्ड नं 18 गतौरा, तह0 मस्तुरी, जिला बिलासपुर (छ0ग0)
2	Shankar Singh Thakur S/o Rameshwar Singh Thakur पता–टाईप 2–6 हाई कोर्ट रेसीडेंसियल कॉलोनी बोदरी बिलासपुर (छ0ग0)
3	Rajkumari Vastrakar D/o Late Shri Netram Vastrakar पता–मकान नं0 14 वार्ड क्र0 29 खरमोरा रोड पोड़ीबहार कोरबा (छ0ग0)
4	Manjulata Pradhan D/o Madhumani Pradhan पता–ग्राम कुपाकानी तह0 लैलुगा जिला रायगढ (छ0ग0)
5	Daleshwar S/o Bhagwana पता–मु0पो0 टुण्डरी तह0 बिलाईगढ़ जिला– सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ0ग0)
6	Ghasiram Khairwar S/o Gorelal Khairwar पता–मकान न0 30 नदियापारा 2 वार्ड न0 3 नवरंगपुर, सक्ति (छ0ग0)
7	Aman Kumar Jagat S/o Ramcharan Jagat पता–ग्राम खैराडूबान पोस्ट बकासाही तह0 व थाना पाली जिला कोरबा (छ0ग0)
8	Ajay Singh S/o Karachand पता–ग्राम छोटेमुड़ापार पो0 भैनापारा तह0 व थाना खरसियॅ जिला रायगढ़ (छ0ग0)
9	Jaikishan S/o Nainsingh पता–मु0पो0 वार्ड नं 04 शांति कुंज गढ़गोढ़ी तह0 सक्ती जिला सक्ती (छ0ग0)
10	Pyarelal S/o Kartikram पता–ग्राम साल्हे पो0 मिरचे तह0 अम्बागढ़ चौकी जिला– मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी (छ0ग0)
11	Chandrahash Deshlahare S/o late Shri Budhuram Deshlahare पता–ग्राम व पो0 खलारी वि0ख0 डौण्डी जिला– बालोद (छ0ग0)
12	Shaileshwari Kumari D/o Trilok Singh पता–ग्राम सराईडीह, पोस्ट चिलकेजा, जिला कोरबा (छ0ग0)
13	Supriya Lakra D/o Fuluens Lakra पता–बंगलापारा कुटुरूवा पो0 बालको कोरबा (छ0ग0)

2-7-2024

(सत्येन्द्र कुमार साहू)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरबा (छ.ग.)

प्रारूप (एक)

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त/प्रवेशित/निर्वाचित/नामांकित/मनोनित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत

शपथ–पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... आ0 .... उम्र .... वर्ष .... व्यवसाय .... निवासी .... तहसील .... जिला .... राज्य .... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :

(1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/सीट/ लाभ/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है/था।

(2) मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/नामांकन/मनोनयन आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन प्रदान की गई है।

(3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को होने के संबंध में ....(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।

(5) कदाचित उपर्युक्त जाति प्रमाण पत्र/सत्यापन प्रमाण–पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रास्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में कोई जॉच करती है अथवा गहन जॉच हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में की गई जॉच एवं पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित लोक नियोजक/शैक्षणिक संस्था/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केन्द्र शासन का नाम) ....

.... द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त / समाप्त / अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति / प्रवेश / निर्वाचन / चयन / प्रदत्त लाभ / सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होऊँगा तथा उक्त राशि मुझसे भू राजस्व के बकाया की भाँति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरूद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी

हस्ताक्षर ....

सत्यापन

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी ....

आत्मज / आत्मजा .... सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ

हस्ताक्षर ....